

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 633/2021

निर्णय दिनांक :- 29/10/21

उनवानी प्रार्थना पत्र :

नन्दाराम

बनाम तहसीलदार देवली

उपस्थिति :-

नन्दाराम

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी नन्दाराम

निवासी जमना प्रशासन गांवो

के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम जमना जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 335 में दर्ज प्रार्थी का नाम नन्दाराम

कनौड़ के स्थान पर नन्दाराम पत्नी कनौड़

दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार देवली से कराई गई। तहसीलदार देवली ने पटवार हल्का जमना व भू0अ0नि0 जमना की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार देवली से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार देवली को वाके ग्राम जमना जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 335 में दर्ज नन्दाराम के स्थान पर नन्दाराम पत्नी कनौड़

दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार देवली को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प शान्कोर में सुनाया गया।

9.11.21
उपखण्ड अधिकारी
देवली